

(4)

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा, आर.ए.एस.

मिसल नं० -18/2019,

अनवान :-

साहबराम पुत्र श्री केसराराम उफ केसूराम जाति महाब्राह्मण आयु- 60 वर्ष निवासी वार्ड नं० 6, मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

---वादी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

---प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा, आर.ए.एस. के समक्ष वारंते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री अनिल सिडाना, वकील वादी मिन जाकिन मुदई पैरोकार राज, मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है चक नम्बर 14 एस.एल.डब्ल्यू. जमाबंदी सम्वत् 2072-75 खाता संख्या- 88/74 प०न० 189/313 (15) कि०न० 3 से 8 प्रत्येक सालम, प०न० 190/314 (21) कि०न० 1 सालम, कुल तादादी 1.771 है० नहरी मय गै०मु० खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी की जाति तारग दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद वादी साक्ष्य से साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नम्बर 14 एस.एल.डब्ल्यू. जमाबंदी सम्वत् 2072-75 खाता संख्या- 88/74 प०न० 189/313 (15) कि०न० 3 से 8 प्रत्येक सालम, प०न० 190/314 (21) कि०न० 1 सालम, कुल तादादी 1.771 है० नहरी मय गै०मु० खातेदारी कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी की जाति तारग के स्थान पर महाब्राह्मण अंकित करवाने का अधिकारी है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें
के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा
करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से दिनांक 5-9-19 को 10 जुले न्यायालय
में जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी